

डिकी व मुकदमें इबतदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

कानाराम उर्फ कन्हेयालाल बनाम परसाराम वगैराह

राजस्व मूल वाद संख्या 11/2025

दावा बाबत 53, 188 आर.टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील रामकिशोर सांखला

मिनजानिव मुदई वकील उदयसिंह कच्छावाह व निर्मल कटारिया मनजानिव मुदायलह पेश होकर

हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बांकलिया के खसरा

संख्या पुराना 44, 127, 128, 129, 130, 325,494 / 6,439,443,447,450,456,459,462,467,470,480

जिनके नया खसरा संख्या 98, 99, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 575,

622, 623, 767, 770, 777, 780, 783, 786, 790, 794, 799, 803, 806, 810, 813, 814, 824 मे

वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका रिपोर्ट(विभाजन

प्रस्ताव) दिनांक 17/09/2025 बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार रहेगा। तहसीलदार

पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय एवं डिकी के भाग रहेंगे।

वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी की

जाती है कि वादी के बंट में आई हुई भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी उत्पन्न

नहीं करे एवं न किसी अन्य कर से करावे। तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकॉर्ड में आवश्यक

कार्यवाही करे।

लीज.....शून्य.....मुवलिक.....शून्य.....बाबत.....शून्य.....खर्चा

इस मुकदमें के मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को आदा करें।

बसबा मेरे दस्तखत अज अदालत के आज तारीख 16/04/2026 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत.....सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओहदा.....पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान.....			मीजान.....		

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।